(37)

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
[हाल कार्यालय-राजस्थान आवासन मण्डल: जयपुर ।

क्रमांक:- 1751

दिनांक 15-X-84

वाद संख्या:- 1- 10/83[37]
2- 10/83[53]
3- 10/83[56]
4- 10/83[72]
5- 10/83[74]
6- 10/83[77]
7- 10/83[80]
8- 10/83[83]
9- 10/83[86]
10- 10/83[132]
11- 10/83[154]
12- 10/83[156]
13- 10/83[159]
14- 10/83[160]

विषय:- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय कॉलोनी बनाने हेतु अवाप्ति के अधीन भूमि का आंशिक अवार्ड ग्राम श्योपुर, सांगानेर, बम्बाला का उपरोक्त वादों की कुल भूमि 26बीघा05बिस्वा ।

पीठासीन अधिकारी:- 1- श्री बी०एम०शर्मा, विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान-जयपुर ।

पक्षकारान्:- 1- श्री गोपाल, लाला पुत्र सालगा 1/2 हि. ।
श्री मूल्या पुत्र सूज्या 1/2 हि. ।
2- श्री कल्याण सहाय सैनी पुत्र केसरलाल सैनी ।
3- श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप माली ।
4- श्री घासी पुत्र जगन्नाथ माली।
5- श्री गुल्ला, चौथू, पुत्र टोडू
श्री घीसा, भूरा महादेव, रामू पुत्र जगन्नाथ ।
6- श्री लाला पुत्र प्रताप माली ।
7- श्री चतरू पुत्र जीवन ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---2/---

8:- श्री चौल्या पुत्र गणेशा माली ।

9:- क्रेता श्री रमेश चन्द पाटनी, मधु पाईप फैक्ट्री ।

10:- श्री शंकरलाल, हरिनारायण, बंशीधर पुत्र महादेव $\frac{1}{2}$ में $\frac{3}{4}$ हिस्सा, लल्लूराम, गंगूराम पुत्र बाला $\frac{1}{2}$ में $\frac{1}{4}$ हिस्सा, रामसहाय पुत्र मूल्या $\frac{1}{2}$ हिस्सा ।

11:- श्री दुलीचन्द, चुन्नीलाल पुत्र गुल्ला ।

12:- श्री सुखा पुत्र नोला मीणा ।

13:- श्री भूरा पुत्र नारायण मीणा ।

14:- श्री सेवा, भूरा पुत्र रूपा मीणा ।

15:- राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के जरिये श्री एल0सी0 गुप्ता, भूमि अवाप्ति अधिकारी ।

1- राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान जयपुर की ओर से राजस्थान आवासन मण्डल के सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात आवासीय कॉलोनी हेतु ग्राम श्योपुर, सांगानेर, बम्बाला एवं सौखावास जिला जयपुर की 1213बीघा 17 बिस्वा भूमि अवाप्त करने के आदेश राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 जिसे आगे अधिनियम शब्द से सम्बोधित किया जायेगा, की धारा 4 के अन्तर्गत दिये गये जिसकी अधिसूचना क्रमांक प07{13}नविआ/83 दिनांक 22-8-83 को जारी की गई जो राजस्थान राजपत्र में दिनांक 22-8-83 को प्रकाशित की गई ।

2- तत्पश्चात् राज्य सरकार ने भूमि को अवाप्ति की अति आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में धारा 9"बी"उपधारा {1} में उल्लेखित नोटिस प्रकाशित हो जाने की तिथि से 15 दिवस की समाप्ति पर उपरोक्त विज्ञप्ति में उल्लेखित भूमि का कब्जा लेने हेतु विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को विज्ञप्ति क्रमांक प07{20}नविआ/111/83 दिनांक 19मार्च, 1984 जो राजस्थान राजपत्र के भाग 1{ख} में दिनांक 19मार्च, 1984 को प्रकाशित हुई, के द्वारा अधिकृत किया ।

3- धारा 17{4} की अधिसूचना प्रकाशित होने के पश्चात नियमानुसार सम्बन्धित भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु अधिनियम की धारा 9{1} को नोटिस दिनांक 23-5-84 को जारी किया गया । उक्त नोटिस जारी होने के 15 दिवस पश्चात् भूमि का कब्जा प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की गई, जिसके

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

-अनुसार दिनांक 11-6-84 को कुल 1173बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लिया गया । शेष भूमि का कब्जा स्थगन आदेशों के कारण नहीं लिया गया । उक्त 1173बीघा 16 बिस्वा भूमि का कब्जा लेकर मौके पर ही राजस्थान आवासन मण्डल के प्रतिनिधि को सम्भलवाया गया ।

4- उपरोक्त कार्यवाही के पश्चात् सम्बन्धित खातेदारों को अधिनियम की 9(3) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जाकर सम्बन्धित खसरा नम्बरों की भूमि का क्लेम प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया ।

5- वर्तमान में उपरोक्त में से कुल 26बीघा 05 बिस्वा का ही अवार्ड दिया जा रहा है। अवार्ड दिये जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	वाद संख्या	नाम खातेदार	खसरा नं.	भूमि का क्षेत्रफल बीघा - बिस्वा
1-	10/83(37)	श्री गोपाल, लाला पुत्र सालगा आधा हिस्सा श्री मूल्या पुत्र सूज्या ½ हि.	155/1422	0 - 03
2-	10/83(53)	श्री कल्याण सहाय सैनी	885	0 - 16
		पुत्र केसरलाल सैनी	886	0 - 16
				1 - 12
3-	10/83(56)	श्रीमती नारायणी वेवा प्रताप माली	894	0 - 16
4-	10/83(72)	श्री घासी पुत्र जगन्नाथ	981	0 - 04
		माली	998	0 - 14
			1001/4007	0 - 19
				1 - 17
5-	10/83(74)	श्री गुल्ला, चौथू, पुत्र टोडू घीसा, भूरा, महादेव, रामू पुत्र जगन्नाथ	985	0 - 01
6-	10/83(77)	श्री लाला पुत्र प्रतापमाली	1020	1 - 04
7-	10/83(80)	श्री चतरू पुत्र जीवन	1051	0 - 13
8-	10/83(83)	श्री चौल्या पुत्र गणेश माली	1068	1 - 03
			1069	1 - 06
			1070	1 - 08
				3 - 17

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः---4/--

1-	2-	3-	4-	5-	6-
9-	10/83§86§	क्रेता श्री रमेशचन्द पाटनी मधु पाईप फैक्ट्री, सांगानेर	32	0 - 01	
10-	10/83§132§	श्री शंकरलाल, हरिनारायण,	322	0 - 07	
		वंशीधर पुत्र महादेव $\frac{1}{2}$ में	324	1 - 06	
		$\frac{3}{4}$ हि. लल्लूराम, गंगूराम पुत्र	348	1 - 00	
		वाला $\frac{1}{2}$ में से $\frac{1}{[illegible]}$ हिस्सा	349§ 350§	0 - 17	
		रामसहाय पुत्र मूल्या $\frac{1}{2}$ हिस्सा	351	1 - 04	
			352	0 - 15	
			354	0 - 08	
				5 - 17	
11-	10/83§154§	श्री दुलीचन्द, चुन्नीलाल पुत्र गुल्ला	220	0 - 10	
12-	10/83§156§	श्री सुखा पुत्र नोला मीणा	394	2 - 05	
			434	2 - 06	
				4 - 11	
13-	10/83§159§	श्री भूरा पुत्र नारायण मीणा	435	1 - 16	
14-	10/83§160§	श्री सेवा, भूरा पुत्र रूपा माना	436/1	1 - 03	
			438/1	2 - 04	
				3 - 07	

उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में उपरोक्त खातेदारों के नाम दर्ज है, अत: तदनुसार अवार्ड दिया जा रहा है।

6- अधिनियम की धारा 9§3§ के अन्तर्गत खातेदारों को नोटिस दिया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा क्लेम प्रस्तुत किया गया।

1- वाद संख्या:-10/83§37§

खातेदार -श्री गोपाल, लाला पुत्र सालगा मूल्या पुत्र सूज्या द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

-=-

चाह मय बोरिंग जो 140 फुट गहरा तथा चाह का पक्का ढाणा बना हुआ है, जिसमें 4 मोटे पाईप मय विजली फिटिंग व मोटर के हैं:-

भू-अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:---5/--

1- 1- चाह की कीमत	25,000.00
2- बोरिंग	10,000.00
3- बिजली फिटिंग	5,000.00
4- मोटर	6,000.00
	45,000.00

2- चाह केअवाप्त किये जाने से अन्य स्थान पर चाह बनाने व परिवार का रहने का प्रबन्ध करने के लिये होने वाला खर्चा — 5,000.00

3- आवश्यक अवाप्ति की कार्यवाही से चाह की कीमत पर होने वाले प्रभाव से हानि — 5,000.00

4- भूमि अवाप्ति के कारण कानूनी खर्चे- — 3,000.00

5- आवश्यक अवाप्ति पर दिये जाने वाला कुल मुआवजे का 10 प्रतिशत

6- भूमि का कब्जा लिये जाने के दिन से मुआवजा दिये जाने के समय तक ब्याज -

2- वाद संख्या:-10/83:53:
खातेदार-श्री कल्याण सहाय सैनी पुत्र केसरलाल सैनी:-

दावेदार द्वारा निश्चित दिनांक को क्लेम पेश नहीं करने के कारण इकतरफा कार्यवाही की गयी ।

3- वाद संख्या:-10/83:56:
खातेदार -श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप माली द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

खातेदार श्रीमती नारायणी द्वारा कोई क्लेम पेश नहीं किया गया ।

4- वाद संख्या:- 10/83:72:
खातेदार -श्री घासी पुत्र जगन्नाथ माली द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- भूमि का मुआवजा	1,50,000
2- कुआ मय पम्पसैट मुआवजा	70,000
3- होद, धोरे, पाईप, घुमटी	16,650
4- डोली, फसल, वृक्ष	2,55,450
5- पक्का मकान	4,15,000
6- कच्चा घर	16,000

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

7- आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000
8- शेष बची भूमि	500
9- क्लेम पैरवी का हर्जा	500
विभिन्न मदों का कुल योग	9,34,900

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 10,28,390 रूपये व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

5- वाद संख्या:-10/83ꤰ74ꤰ

खातेदार :-श्री गुल्ला, चौथू, पुत्र टोडू श्री घीसा, भूरा, महादेव, रामू, पुत्र जगन्नाथ द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- कुआ	30,000
2- पम्पसैट	
3- बोरिंग	25,000
4- होद, धोरे, पाईप, घुमटी आदि	5,500
	60,500

10% अनिवार्य अवाप्ति के 5,500/-व ब्याज दिया जावे ।

कुल 60,500

6- वाद संख्या:-10/83ꤰ77ꤰ

खातेदार:-श्री लाला पुत्र प्रताप माली द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	72,000
2- कुआ, पम्पसैट मुआवजा	35,000
3- होद. धोरे, पाईप, घुमटी	500
4- डोली, फसल वृक्ष	29,150
5- कच्चा घर	500
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000
7- शेष बची भूमि	500
8- क्लेम पैरवी का हर्जा	500
कुल योग	1,48,150

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--7/--

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 1,62,965/-रूपये व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

7- वाद संख्या:-10/83॥80॥
खातेदार:- श्री चतरू पुत्र जीवन द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	39,000
2- कुआ पम्पसैट मुआवजा	55,000
3- होद.धोरे,पाईप,घुमटी	2,700
4- डोली,फसल वृक्ष	7,000
5- कच्चा घर	500
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	1,000
7- क्लेम पैरवी हर्जा	500
कुल योग	1,03,700

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 1,14,070 रूपये व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

8- वाद संख्या:-10/83॥83॥
खातेदार:-श्री चौल्या पुत्र गणेश माली द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	2,31,000
2- कुआ पम्पसैट मुआवजा	70,000
3- होद.धोरे,पाईप ,घुमटी	4,500
4- डोली,फसल वृक्ष	38,500
5- कच्चा घर	3,500
6- आमद स्त्रोत समाप्ति	10,000
7- शेष बची भूमि	3,000
8- क्लेम पैरवी हर्जा	500
कुल	3,61,000

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 3,97,100/-रूपये व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--8/--

9- वाद संख्या:-10/83ꞏ86ꞏ

खातेदार- क्रेता श्री रमेश चन्द पाटनी, मधु पाईप फैक्ट्री द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

खातेदार द्वारा क्लेम पेश नहीं करने से इकतरफा कार्यवाही की गई।

10- वाद संख्या:10/83ꞏ132ꞏ

खातेदार-श्री शंकरलाल, हरिनारायण, बंशीधर पुत्र महादेव 1/4 में 3/4 हिस्सा, लल्लूराम, गंगूराम पुत्र बाला 1/2 में 1/4 हिस्सा रामसहाय पुत्र मूल्या 1/2 हिस्सा द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- कृषि भूमि रकबा 5 बीघा 19 बिस्वा का मुआवजा 60,000रू. प्रति बीघा की दर से -3,57,000/-.

2- भूमि की पोटेन्सियल वैल्यू का मुआवजा 20,000रू. प्रति बीघा की दर से 1,19,000/-

3- विकास व्यय का मुआवजा -20,000/-

4- कुएँ के हिस्से 3/4 भाग का मुआवजा 75,000/-

5- ढाणे के मुआवजे के 20,000/-रूपये का 3/4 भाग 15,000/-

6- घुमटी की कुल कीमत 10,000/-रूपये का हिस्सा 3/4 अर्थात 7,500/-

7- 500/- प्रति होदी के हिसाब से 3,000रूपये छ: होदियों का मुआवजा

8- 2000फुट सीमेन्ट के पाईप का मुआवजा 6रूपये प्रति फुट के हिसाब से 12,000/-

9- मिट्टी का डोली- 15000/-

10- पानी पूलों से 5,000/-रूपये वार्षिक स्थायी आमदनी होती है, अत: कूँचों की वार्षिक स्थायी आय 5000/-रूपये का 20गुना-1,00,000/-

11- लेहसवों के पेड़ों की स्थायी वार्षिक आय 10,000/-का 20गुना 2,00,000/-रूपये 10 लेहसवे के पेड़ों का मुआवजा

12- 17 बंबूल के पेडों का मुआवजा 500/-रूपये प्रति पेड़ के हिसाब से 8,500/-

13- खाम घर छप्पर एवं ढारों का मुआवजा 10,000/-

14- रिमूवल एवं शिफ्टिंग चार्जेज-10,000/-

15- मुआवजे की कुल राशि 9,52,000/-रूपये के अतिरिक्त इस मुआवजे की राशि पर 20प्रतिशत की दर 1,90,400/-रूपये अतिरिक्त मुआवजा ꞏसोलेसियमꞏ

16- मुआवजे की कुल राशि 10,42,400/-रूपये पर 10 प्रतिशत के हिसाब से 1,04,240 रूपये अवाप्ति कार्यवाही में व्यर्थ हो रहे समय एवं धन के मुआवजे के रूप में।

भू-अवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-9/-

17- कुल मुआवजे की राशि 11,46,640/-रूपये पर दिनांक 11-6-84 से मुआवजे के भुगतान के दिनांक तक 12 प्रतिशत साधारण प्रति वर्ष की दर से ।

11- वाद संख्या:-10/83§154§
खातेदार- श्री दुलीचन्द, चुन्नीलाल पुत्र गुल्ला द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि का मुआवजा	30,000/-
2- डोली, फसल वृक्ष	4,000/-
3- कच्चा घर	500/-
4- आमद स्त्रोत समाप्ति	5,000/-
5- क्लेम पैरवी हर्जा	500/-
कुल योग	40,000/-

अनिवार्य अवाप्ति के 10% वृद्धि के पश्चात् 44,000/-व 6% ब्याज वार्षिक दर से कब्जा लेने के दिन से मुआवजा दिये जाने के दिन तक ब्याज दिया जावे व अन्य दादरसी दी जावे ।

12- वाद संख्या:10/83§156§
खातेदार- श्री सुखा पुत्र नोला मीणा द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- जमीन की कीमत	2,73,000
2- जमीन में खाद की कीमत	5,000
3- पेड़ों की कीमत	21,750
4- जमीन में दरोवस्त की डोली की बन्धाई की मजदूरी	5,250
कुल	3,05,000

13- वाद संख्या:10/83§159§
खातेदार -श्री भूरा पुत्र रामनारायण मीणा द्वारा प्रस्तुत क्लेम:-

1- भूमि की कीमत 1लाख रूपये प्रति बीघा से	1,80,000
2- डोला दर 10/-रूपये प्रति फुट	4,000
3- धोरे व पाईप लाईन	3,000
4- भूमि पर स्थित बोरडी वृक्ष3, बम्बूल वृक्ष6, नीम वृक्ष2 प्रति वृक्ष दर 300/-	3,300
5- कुआ पक्का 200फीट बोरिंग का है मीसेन्टेड है।कुए की मान्यित 90,000/- रूपये है जिसके 1/3 हिस्से की कीमत	30,000
योग	2,20,300

निदेशाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-10/-

6- मुआवजा राशि पर 10 प्रतिशत की दर राशि 22030/-रुपये तोलेसियम राशि ।

7- मुआवजा राशि पर 10प्रतिशत की दर से कम्पलसरी एक्वीजीशन चार्जेज अतिरिक्त राशि 22030/-रूपये

8- वकील फीस व मुकदमें से सम्बन्धित अन्य व्यय राशि 2,203/-

9- अवाप्ति कार्यवाही में भूखण्ड आवंटित किये गये हैं एतद500वर्ग गज भूमि रियायती दर पर आवंटित की जावे ।

14- वाद संख्या:10/83|60|
खातेदार -श्री सेवा,भूरा पुत्र रूपा मीना द्वारा प्रस्तुत क्लेम :-

1- भूमि की कीमत	1,67,500
2- बबूल के पेड़ो की कीमत	5,000
3- कम्पाउन्ड/बाल	6,000
4- कूँवों की कीमत	5,000
कुल योग	1,83,500

7- राजस्थान आवासन मण्डल ने दावेदारों के क्लेम का उत्तर प्रस्तुत कर क्लेम में मांगी गई क्षतिपूर्ति की राशि को अधिक बताते हुये अस्वीकार किया तथा यह बताया कि भूमि की कीमत अधिक से अधिक 10,000/- रूपये प्रतिबीघा हो सकती है ।

8- भूमि पर स्थित स्ट्रेक्चर्स के सम्बन्ध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निम्न प्रकार सूचित किया गया:-

1- वाद संख्या:- 10/83|37|
खातेदार श्री गोपाल,लाला पुत्र सालगा 1/2 हिस्सा श्री मूल्या पुत्र सूज्या 1/2 हिस्सा :-

1- आर.सी.सी.कुआ-मय विजली की घुमटी	18,473.75
2- बोरिंग	9,663.75
कुल योग	27,137.50

2- वाद संख्या:10/83|53|
खातेदार- श्री कल्याण सहाय सैनी पुत्र केसरलाल सैनी:-

कमरा - 3,752.11

क्रमश:--11/-

निशेष अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

3- वाद संख्या:- 10/83156।
खातेदार- श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप माली:-

1- अर्थन डोला 57.805से.मी. 2.50प्रतिसेमी	144[illegible]
2- पेडों का विवरण:	
अरडू पेड3बडे दर 150/-प्रति पेड	450.00
अरडू पेड। छोटा दर 100/-प्रतिपेड	100.00
बंबूल 2 पेड दर 125/-रू.प्रति पेड	250.00
बोर्डी 2 पेड दर 100/-प्रति पेड	200.00
खेजडा 1 पेड दर 100/-प्रति पेड	100.00
3- कच्ची झोपडी जिसकी छत तथा साइडे पूलों	184.80
की बनी हुई है। साईडों का मुआवजा	165.00
कुल योग	1594.31

4- वाद संख्या: 10/83172।
खातेदार -श्री घासी पुत्र जगन्नाथ माली:-

1- झौपडी	1200
2- कुआ एवं बोरिंग	16884.22
3- विद्युत घुमटी	215.94
4- पानी का होद	3210.26
5- निर्माण कार्य	38564.40
कुल योग	44874.82

5- वाद संख्या:-10/83174।
खातेदार-श्री गुल्ला, चौथू, पुत्र टोडू
श्री घीसा, भूरा, महादेव, रामू, पुत्र जगन्नाथ:-

1- कुआ	5,421.21
2- बोरिंग	20,331.00
3- बिजली की घुमटी	684.27
4- वाटर टेंक -1	135.22
5- वाटर टैंक -2	515.41
6- प्लेट फार्म	320.06
कुल योग	27,407.17

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-12/-

6- खाट संख्या:10/83|77|
खातेदार- लाला पुत्र प्रताप माली :-

1- अर्धन डौला 69.247 दर 2.57	17?.6?
2- पेडों का कुल मुआवजा	4225.?
3- झौंपड़ी	1342.40
4- बिल्डिंग	46827.07
5- कुआ और प्लाट फार्म	7330.53
6- बोरिंग	12000.00
7- विद्युत घुमटी	213.75
कुल योग	72159.36

7- खाट संख्या:10/83|80|
खातेदार - श्री चतरू पुत्र जीवन :-

तकमीना बाबत लिखा गया कि केवल भूमि का मुआवजा ही देना है ।

8- खाट संख्या:10/83|93|
खातेदार - श्री चौल्हा पुत्र गणेश माली:-

1- आर.सी.सी.कुआँ	11,955.43
2- बोरिंग	10,165.50
3- घुमटी व प्लेटफार्म	524.85
4- होदी	172.89
कुल योग	22,818.67

9- खाट संख्या:-10/83|86|
खातेदार- क्रेता श्री रमेश चन्द पाटनी, मधु माईका केमिस्ट्री:-

1- निर्माण	38,446.76
कुल योग	38,446.76

10- खाट संख्या:- 10/83|132|
खातेदार:-श्री शंकरलाल, हरिनारायण, गंगाधर पुत्र महादेव 1/2हि.
में 3/4हि. लल्लूराम, गंगूराम पुत्र नाला 1/2में 1/4 हि.

उपरोक्त खाट में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-13/--

11- वाद संख्या:-10/83(154)

खातेदार-श्री दुलीचन्द, चुन्नीलाल पुत्र गुल्ला :-

उपरोक्त वाद में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

12- वाद संख्या:- 10/83(156)

खातेदार- श्री सुखा पुत्र भोला मीणा:-

1- अर्थन डोला	516.41
2- झौंपड़ी	800.00
3- अर्थन डोला	175.23
कुल योग	1491.64

13- वाद संख्या: 10/83(159)

खातेदार- श्री भूरा पुत्र नारायण मीणा:-

उपरोक्त वाद में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

14- वाद संख्या:- 10/83(167)

खातेदार- श्री सेवा पुत्र रूपा मीणा:-

उपरोक्त वाद में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा कोई तकमीना पेश नहीं किया गया ।

9- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के समर्थन में तीन विक्रय पत्र क्रमश: दिनांक 24अक्टूबर, 1983, 15मार्च, 1984 एवं 30-5-83 की प्रतियाँ पेश की गई ।

10- सम्बन्धित खातेदारों द्वारा निम्न प्रकार दस्तावेज अपने पक्ष के समर्थन में पेश किये गये:-

वाद संख्या:- 10/83(153)

1- विक्रय पत्र दिनांक 31-8-84 की फोटोप्रति

2- विक्रय पत्र दिनांक 2-8-84 की फोटोप्रति

3- विक्रय पत्र दिनांक 6-11-82 की फोटोप्रति

4- विक्रय पत्र दिनांक 24-1-83 की फोटोप्रति

5- नकल अवार्ड दिनांक 23-5-87 की फोटोप्रति

6- नकल अवार्ड दिनांक 20-2-85 की फोटोप्रति

क्रमश:--14/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

7- विक्रय पत्र दिनांक 2-6-82 की फोटो प्रति

8- नकल अवार्ड दिनांक 24-4-84 की फोटो प्रति

9- नकल अवार्ड दिनांक 15-6-85 की फोटो प्रति

वाद संख्या:- 10/83(56) व 10/83(74)

उपरोक्त दोनों वादों में नकल विक्रय पत्र दिनांक 31-3-84 की फोटोप्रति

वाद संख्या:-10/83(132)

1- नकल विक्रय पत्र दिनांक 31-3-84 की फोटो प्रति

2- नकल विक्रय पत्र दिनांक 24-1-83 की फोटो प्रति

3- नकल विक्रय पत्र अवार्ड दिनांक 2?-2-85 की फोटो प्रति

4- नकल विक्रय पत्र दिनांक 7-10-87 की फोटो प्रति

वाद संख्या:- 10/83(137), 10/83(172), 10/83(177), 10/83(180), 10/83(183), 10/83(186), 10/83(154), 10/83(156), 10/83(159) एवं 10/83(160) में दावेदारों द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई ।

11- उपरोक्त मामलों में दावेदारों द्वारा अपनी भूमि के मुआवजे हेतु भूमि की दर 1,00,000/-रूपये प्रति बीघा तक दिये जाने की मांग की है ।

12- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब में यह अंकित किया गया है कि इस कृषि भूमि की कीमत अधिक से अधिक रूपये 10,000/-प्रतिबीघा हो सकती है, इससे अधिक कदापि नहीं एवं अपने इस कथन के समर्थन में उनके द्वारा विक्रय पत्र दिनांक 24-10-83 जिसमें ग्राम ?गोपुर की 3बीघा3बिस्वा भूमि रूपये 29,999/- में बेची गई है, की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार उक्त भूमि की कीमत रूपये 9,523/-प्रति बीघा है, किन्तु इस विक्रय पत्र का अध्ययन करने से यह तथ्य जानकारी में आता है एवं यह विक्रय पत्र में अंकित भी किया गया है:-

"यह भूमि ?मानी की नदी के पास स्थित है। विगत बाढ़ के समय आधी से ज्यादा जमीन नदी की चोट में आ जाने से खाले पड़ रहे हैं तथा आधी से अधिक जमीन नदी के रूप में है तथा पेटा डेढ़ या पोने दो बीघा जमीन ही काश्त की है । उक्त भूमि पर किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है ।

क्रमश:-15/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

इस प्रकार इस विक्रय पत्र की प्रति जो पेश की गई है उससे तो उचित हिस्सा दिया जाना बताया गया है लेकिन वास्तविक रूप से जमीन आधी या चौथाई ही विक्रय की गई है एवं चूंकि इस भूमि में किसी प्रकार की पैदावार नहीं की जाती है इसलिये इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान में मामले में भूमि की दर निर्धारित किया जाना मेरे विचार में न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने समर्थन में अन्य विक्रय पत्र दिनांक 15-3-84 की प्रति पेश की गई है जिसमें ग्राम नायपुर में 9बीघा11बिस्वा भूमि का आधा हिस्सा रुपये 30,000/-में विक्रय किया गया जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 7,500/-प्रतिबीघा है । इस विक्रय पत्र के अन्त में यह लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि कस्बे से करीबन 3 किलोमीटर अन्दर क्षेत्र में है तथा भूमि किसी भी रोड साईड पर नहीं है एवं बारानी है ।

इस प्रकार इस विक्रय पत्र के द्वारा कस्बे से 3 किलोमीटर अन्दर जाकर भूमि विक्रय की गई है, अत: इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामले में भूमि की दर तय किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में ग्राम नमनाला की 7 बीघा 18 बिस्वा भूमि का 1/3 हिस्सा दिनांक 30-3-83 को रुपये 25,000/-में विक्रय किये जाने पर विक्रय पत्र की फोटो प्रति पेश की है जिसके अनुसार भूमि की दर लगभग 9,500/-आती है । इस विक्रय पत्र में यह नोट लिखा गया है कि विक्रय की गई कृषि भूमि टोंक रोड से करीबन 1-1/2 मील अन्दर क्षेत्र में है इसलिये मेरे विचार में इस विक्रय पत्र के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना न्यायोचित नहीं होगा ।

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अपने पक्ष के समर्थन में कोई अन्य सबूत या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है ।

13- सम्बन्धित दावेदारों द्वारा अपने क्लेम के समर्थन में विक्रय पत्रों की प्रतियाँ पेश की है उन मामलों में भूमि का एक छोटा सा हिस्सा ही विक्रय किया गया है एवं भूमि की स्थिति भी भिन्न है । भूमि के एक छोटे से हिस्से को विक्रय किये जाने की दर को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विशाल स्तर पर अवाप्त किये जाने वाली भूमि के मुआवजे का आधार नहीं बनाया जा सकता , अत: इन विक्रय पत्रों के आधार पर वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

विशेषाधिकारी
स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-16/--

14- इसके अतिरिक्त सम्बन्धित दावेदारों द्वारा न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत-2 जयपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी जिलाधीश कार्यालय, जयपुर क्रमश: दिनांक 4-2-85 एवं 20-2-85 व 15-6-85 की फोटो प्रतिलिपियाँ पेश की गई है जिसके अनुसार भूमि का मुआवजा लगभग रूपये 40,000/- प्रति बीघा की दर से तय किया गया है, किन्तु इन मामलों में सम्बन्धित विभागों की भूमि विशेष की ही आवश्यकता होने के कारण यह मुआवजा दिया गया है । अत: इन अवार्डों के आधार पर भी वर्तमान मामलों में भूमि की दर तय किया जाना मेरे विचार से न्यायोचित नहीं होगा ।

15- मैंने इन प्रकरणों से सम्बन्धित मौका का निरीक्षण किया एवं पत्रावलियों में प्रस्तुत दस्तावेजों का अध्ययन किया तथा सम्बन्धित पक्षकारों की बहस सुनी । यह भूमि जयपुर शहर के निकट सांगानेर टाउन के समीप स्थित है एवं इसके समीप ही सांगानेर हवाई अड्डा भी स्थित है । अत: भविष्य में होने वाले विकास के दृष्टिकोण से भूमि की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है । अत: मैं भूमि की पोटेंशियलिटी के आधार पर एवं सांगानेर टाउन के समीप होने के कारण एवं भविष्य में होने वाले विकास को दृष्टिगत रखते हुये मौके मुआयने के अनुसार भूमि का मुआवजा दिया जाना न्यायोचित समझता हूँ ।

उपरोक्त मामलों में से वाद संख्या: 10/83(37) में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के साथ जो बोरिंग का तकमीना पेश किया है जिसमें एवं राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता द्वारा सचिव को जो तकमीना भेजा गया है उसमें अन्तर है । सचिव द्वारा आवासीय अभियन्ता के तकमीना में बिना कोई कारण अंकित किये कमी कर दी गई है । अत: मैं राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत तकमीने को स्वीकार करता हूँ। इसी प्रकार वाद संख्या: 10/83(72), (80), एवं (154) में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने जवाब के साथ पेडों का तकमीना पेश नहीं किया है, जबकि राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता द्वारा यह तकमीना प्रेषित किया गया था । अत: राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता का पेडों के बाबत तकमीना स्वीकार किया जाता है ।

क्रमश:--17/-

वाद संख्या:10/83§56§ में दावेदार श्री गुल्ला पुत्र ... के द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष क्लेम पेश कर यह निवेदन किया गया है कि खातेदार श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप माली की मृत्यु हो चुकी है, अत: उनके वारिस होने के नाते मुआवजे का भुगतान किया जावे । किन्तु इस न्यायालय द्वारा उन्हें अवसर दिये जाने के उपरान्त भी न तो श्रीमती नारायणी की मृत्यु के प्रमाण पत्र ही पेश किये और न ही अपने वारिस होने का प्रमाण पत्र ही पेश किया । अत: उनका क्लेम स्वीकार नहीं किया गया एवं यह निर्देश दिये जाते हैं कि यदि इस मामले में खातेदार श्रीमती नारायणी बेवा प्रताप माली की मृत्यु हो जाना पाया जावे तो इस भूमि के मुआवजे की राशि का भुगतान उसके वारिसों को नियमानुसार वारिस होने का सबूत आदि पेश करने पर किया जावे ।

वाद संख्या:10/83§86§ में राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 32 रकबा 1 बिस्वा में कुआ अंकित है जबकि मौके पर यहाँ दुकाने बनी हुई है जिनका तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा पेश किया गया है । इस मामले में इस भूमि के खरीददार श्री रमेश चन्द पारनी, मधु पाईप फैक्ट्री सांगानेर के नाम राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा सूचित किया गया है । अत: इस आधार पर खातेदार के स्थान पर खरीददार के नाम पर मुआवजा के अवार्ड जारी किये जा रहे हैं एवं कुआ के स्थान पर दुकाने बनी होने के कारण उनका ही मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के तखमीने के अनुसार दिया जा रहा है ।

17- इन सभी मामलों में मुआवजा निर्धारण करते समय सबसे बड़ी कठिनाई अल्सर एक्ट बाबत आयी, क्योंकि जो भूमि अल्सर एक्ट से प्रभावित है, उनका अवार्ड भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत नहीं किया जा सकता है । अत: उपरोक्त मामलों में सम्बन्धित भूमि के अल्सर एक्ट से प्रभावित होने के बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु राजस्थान आवासन मण्डल को अनेकों बार लिखा गया एवं व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया गया, किन्तु उनके द्वारा कोई स्पष्ट रिपोर्ट निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष इन भूमियों के अल्सर एक्ट से प्रभावित नहीं होने के बाबत पेश नहीं की गयी। अनेकों बार स्मरण करवाने के पश्चात् सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने पत्र क्रमांक:प01§4§ भू.अ./677 दिनांक 25-5-98 द्वारा सक्षम अधिकारी §प्रथम§ नगर भूमि कर विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक 1616 दिनांक 5-12-97 के साथ में अधिनियम-

क्रमश:-18/-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

50

- की धारा 104(5) से प्रभावित भूमि एवं धारा 103(6) के तहत उपर विकास प्राधिकरण को कब्जा दी गयी भूमि की सूची की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी एवं मौखिक रूप से यह बताया गया कि जो भूमि अलवर एक्ट से प्रभावित है उसके खसरा नम्बर सूची में दर्ज है एवं जिनके खसरा नं0 सूची में नहीं है वह अलवर एक्ट से प्रभावित नहीं है। इन परिस्थितियों में स्पष्ट सूचना प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी चूंकि उपरोक्त मामलों की भूमि राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूची में अंकित नहीं है। इस आधार पर यह अवार्ड जारी किया जा रहा है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावेदारों के हक में मुआवजे का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:-

1- वाद संख्या:- 10/83(37)

खातेदार :- श्री गोपाल, लाला पुत्र मालगा 1/2 हिस्सा व श्री मूल्या पुत्र मूज्या 1/2 हिस्सा :-

1-	कुल भूमि 3 बिस्वा का मुआवजा रूपये 25000/- प्रति बीघा की दर से रूपये -	3,750.00
2-	राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता के तकमीने के अनुसार आर.सी.सी. कुआँ मय बिजली की घुमटी का तख्मीना रू0-	18,473.75
3-	बोरिंग का तकमीना रूपये-	16,264.80
	कुल तकमीना-	34,738.55
	कुल रूपये	38,488.55
4-	मुआवजे की राशि पर सोलेशियम 30% की दर से रूपये-	11,546.56
5-	धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1)"ए" के अनुसार 12% ब्याज की राशि रूपये-	3,732.86

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक से 1 वर्ष तक 9% तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

निदेशाधिकारी
स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः:-19/-

2- वाद संख्या:10/83(53)
काश्तकार-श्री कल्याण सहाय सैनी पुत्र श्री केसरलाल सैनी:-
-=-

1- कुल भूमि 1बीघा 12बिस्वा का मुआवजा
रुपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रुपये - 40,000.00

2- कमरे का तखमीना राजस्थान आवासन मण्डल
के अनुसार रुपये - 3,752.11

कुल 43,752.11

3- मुआवजे की राशि पर सोलेशियम की राशि
30% की दर से रुपये - 13,125.63

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे
की दिनांक 11-6-84 तक धारा 23(1)"ए"के
अनुसार 12%ब्याज की राशि रुपये- 4,243.36

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से 1वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

3- वाद संख्या:- 10/83(56)
काश्तकार- नारायणी देवा प्रताप या यदि उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसके वारिस:-
-=-

1- कुल भूमि 16 बिस्वा का मुआवजा
रुपये 24000/-प्रतिबीघा की दर से रुपये - 19,200.00

2- पेड़, होज व झौंपड़ी का तखमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार
रुपये - 1,594.31

कुल 20,794.31

3- अनिवार्य अवाप्ति हेतु 30% सोलेशियम
की राशि रुपये - 6,238.29

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे
की दिनांक 11-6-84 तक 12% ब्याज की
राशि रुपये - 2,016.76

क्रमश:-20/

उपरोक्त मुआवजे पर कब्जे की दिनांक से एक वर्ष तक 9% ब्याज की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

4- वाद संख्या:- 10/83।72।

खातेदार श्री घासी पुत्र जगन्नाथ माली :-

1- कुल भूमि 1बीघा 17बिस्वा का मुआवजा
रूपये 24000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 44,400.00

2- कुआँ, बोरिंग, डोला आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 44,874.82

3- पेड़ों का तकमीना आवासीय अभियन्ता
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये 3,762.00

कुल रूपये- 93,036.82

4।अनिवार्य अवाप्ति हेतु 30% सोलेशियम
की राशि रूपये - 27,911.05

5- धारा 4।1। की दिनांक 22-8-83 से कब्जे
की दिनांक 11-6-84 तक 12%ब्याज की
राशि रूपये - 9,023.30

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

5-वाद संख्या:-10/83।74।

खातेदार-श्री गुल्ला, चौथू पुत्र टोडू, घीस्या, भूरा, महादेव, रामू पुत्र जगन्नाथ:-

---

1- कुल भूमि 1 बिस्वा का मुआवजा
रूपये 24000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 1,200.00

2- कुआँ, बोरिंग, टैंक आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये- 27,407.17

कुल 28,607.17

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-21/-

3- मुआवजे की राशि पर 30% की दर से
सोलेशियम की राशि रूपये - 8,582.15

4- रूपये 28,607.17 का धारा 4(1) की
दिनांक से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक
ब्याज की राशि 12% की दर से रूपये- 2,774.50

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक से 1 वर्ष तक 9% तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

6- वाद संख्या:10/83(77)
खातेदार-श्री लाला पुत्र प्रताप माली:-

1- कुल भूमि 1बीघा 4बिस्वा का मुआवजा
रूपये -24000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 28,800.00

2- कुआँ, बोरिंग आदि का तकमीना
राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत
तकमीने के अनुसार रूपये- 72,159.36

कुल 1,00,959.36

3- मुआवजे की राशि पर 30% की दर से
सोलेशियम की राशि रूपये 30,287.81

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से
कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक रूपये-1,00,959.36 की
12% की दर से ब्याज की राशि रूपये- 9,791.67

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से 1वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा, जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

7- वाद संख्या:-10/83(80)
खातेदार-श्री चतरू पुत्र जीवन :-

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--22/-

1- कुल भूमि 13 बिस्वा का मुआवजा
रूपये23000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 14,950.00

2- पेड़ों व डोले का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता
के अनुसार रूपये- 1,159.57

कुल 16,109.57

3- मुआवजे की राशि पर 30% की दर से
सोलेशियम की राशि रूपये - 4,832.87

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे
की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि
रूपये-16,109.57 पर 12% की दर से ब्याज
की राशि रूपये - 1,562.41

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक से एक वर्ष तक 9% की दर से ब्याज तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

8-वाद संख्या:10/83(83)
खातेदार श्री चौल्या पुत्र गणेश माली:-

1- कुल भूमि 3बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा
रूपये-25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 96,250.00

2- कुआँ, बोरिंग आदि का तकमीना राजस्थान
आवासन मण्डल के अनुसार रूपये=- 22,818.67

कुल 1,19,068.67

3- उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 30%
सोलेशियम की राशि रूपये- 35,720.60

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे
की दिनांक 11-6-84 तक उपरोक्त मुआवजे
की राशि रूपये-1,19,068.67 पर 12% की
दर से ब्याज रूपये- 11,548.03

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः-23/-

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एकवर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

9- वाद संख्या: 10/83{86}
खातेदार- श्री रमेश चन्द पाटनी, मधु पाईप फैक्ट्री सांगानेर:-

1- कुल भूमि 1 बिस्वा का मुआवजा रूपये 26000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये- 1,300.00

2- भूमि पर निर्माण का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के अनुसार रूपये - 38,446.76

कुल 39,746.76

3- उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये- 11,924.03

4- धारा 4{1} की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि पर 12% की दर से ब्याज की राशि रूपये=- 3,854.89

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एकवर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

इसके अतिरिक्त यह आदेश दिये जाते हैं कि यद्यपि यह अवार्ड राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर खातेदार के नाम पर जारी नहीं किया जाकर क्रेता के नाम पर जारी किया जा रहा है, किन्तु भुगतान के समय क्रेता को अपने मालिकाना हक बावत पूर्ण दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के बाद ही मुआवजे का भुगतान किया जावे ।

10- वाद संख्या: 10/83{132}
खातेदार-श्री शंकर लाल, हरिनारायण, बंशीधर पुत्र महादेव 1/2 हिस्सा में 3/4 हिस्सा व श्री लल्लूराम, गंगूराम पुत्र बाला 1/2 हिस्सा में 1/4 हिस्सा तथा रामसहाय पुत्र मूल्या 1/2 हिस्सा :-

क्रमशः-24/-

अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

1- कुल भूमि 5बीघा 17 बिस्वा का मुआवजा रूपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 1,46,250.00

2- मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये - 43,875.00

3- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि रूपये - 1,46,250.00 पर 12% की दर से ब्याज की राशि रू. 14,184.25

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा, तथा इस राशि में से पूर्व 80% राशि पेटे रूपये 45000/-का भुगतान चैक दिनांक 5-5-88 द्वारा श्री रामसहाय पुत्र मूल्या को तथा रूपये 45000/-का भुगतान चैक दिनांक 5-5-88 द्वारा शंकरलाल, हरिनारायण, वंशीधर पुत्र महादेव व लल्लूराम, गंगूराम पुत्र बाला को सम्मिलित रूप से किया जा चुका है, अतः यह समस्त राशि मय 15% की दर से भुगतान की दिनांक तक के ब्याज की गणना कर कटौती की जायेगी । ब्याज की गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

11- वाद संख्या:-10/83(154)
खातेदार- श्री दुलीचन्द, चुन्नीलाल पुत्र गुल्ला:-

1- कुल भूमि 10बिस्वा का मुआवजा रूपये- 23000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये - 11,500.00

2- पेड़ों का मुआवजा राजस्थान आवासन मण्डल के आवासीय अभियन्ता के अनुसाररूपये- 1520/-

कुल 13,020.00

3- उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये - 3,906.00

4- धारा 4(1) की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि रूपये-13,020.00 का 12% की दर से ब्याज की राशि रूपये - 1,262.76

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एकवर्ष तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमश:-25/-

12- वाद संख्या:-10/83।56।
खातेदार-श्री सुखा पुत्र नोला मीणा :-

1- कुल भूमि 4बीघा ।। बिस्वा का मुआवजा रूपये 24000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये -	1,09,200.00
2- डोला व झौपड़ियों का तकमीना राजस्थान आवासन मण्डल के तकमीने के अनुसार रूपये -	1,491.64
कुल	1,10,691.64
3- उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये -	33,207.49
4- धारा 4।1। की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि रूपये-1,10,691.64 पर 12% की दर से ब्याज की राशि रूपये -	10,735.57

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

13- वाद संख्या:-10/83।59।
खातेदार - श्री भूरा पुत्र नारायण:--

1- कुल भूमि 1बीघा 16बिस्वा का मुआवजा रूपये 24000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये -	43,200.00
2- मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये -	12,960.00
3- धारा 4।1। की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि रूपये-43,200.00 पर 12% ब्याज की राशि रूपये -	4,189.81

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष तक तथा तत्पश्चात् 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

भूअवाप्ति अधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमशः--26/-

|4- वाद संख्या:- 10/83|160|
खातेदार-श्री सैवा, भूरा पुत्र रूपा मीना :-

1-	कुल भूमि 3बीघा 7बिस्वा का मुआवजा रूपये 25000/-प्रतिबीघा की दर से रूपये -	83,750.00
2-	उपरोक्त मुआवजे की राशि पर 30% की दर से सोलेशियम की राशि रूपये -	25,125.00
3-	धारा 4|1| की दिनांक 22-8-83 से कब्जे की दिनांक 11-6-84 तक मुआवजे की राशि रूपये 83,750.00पर 12% की दर से ब्याज की राशि रूपये -	8,122.60

उपरोक्त मुआवजे की राशि पर कब्जे की दिनांक 11-6-84 से एक वर्ष की अवधि तक 9% की दर से तथा तत्पश्चात् भुगतान की दिनांक तक 15% की दर से ब्याज अतिरिक्त देय होगा जिसकी गणना राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा भुगतान के समय की जायेगी ।

उपरोक्त अवार्ड राजस्थानसरकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ग्रुप-3 विभाग के पत्र क्रमांक प07|3|नविआ/3/83 दिनांक 1-10-88 के द्वारा अनुमोदित किया जाकर राज्य सरकार द्वारा पुष्टि कर दी गई है । अतः आज दिनांक 15-10-88 को कुल 26बीघा05 बिस्वा भूमि के मुआवजे का अवार्ड उपरोक्तानुसार घोषित किया जाता है ।इसकी प्रतियां सम्बन्धित को नियमानुसार प्रेषित हों ।

अवार्ड मेरे इजलास घोषित किया गया एवं मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर के साथ जारी किया गया ।

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राज0जयपुर ।

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

|1| शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0जयपुर ।

|2| सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ।

|3| तहसीलदार, सांगानेर|जयपुर|

|4| सम्बन्धित खातेदार श्री ___________________________

विशेषाधिकारी,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग,
राज0जयपुर

विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर